

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या- /xxxi(15)G / 2022-26(सा0) / 2014

देहरादून: दिनांक 01 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के अधीन प्रदेश के समस्त शाराकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों में इगास बग्वाल हेतु दिनांक 04-11-2022 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त तिथि को निगोशिऐबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 द्वारा बैंक/कोषागार तथा उपकोषागार व अन्य सरकारी प्रतिष्ठान भी बन्द रहेंगे।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-1253/xxxi(15)G / 2022-26(सा0) / 2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल का सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
10. महानिदेशक, सूचना एवं जनसपर्क विभाग उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अवकाश को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाईल।

प्रतिलिपि:- 1- विश्वविद्यालय के समस्त आधीकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


2- प्रिन्सिपल, विश्वविद्यालय परिसर जोमेश्वर/लक्ष्मिकेश।

3- निजी सचिव कुलमति जी को, मा0 कुलमति भवण के साक्षर सूचनार्थ प्रेषित।


4- श्री गजेन्द्र रावत, को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की आधीकारिता वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

5- कार्यालयमन्त्री/नोटिस बोर्ड पर चरणा हेतु।

आज्ञा से,



(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)



प्र. कुलसचिव